

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

क्रमांक / विद्या / ई / 36 / 2009 / 355

भोपाल दिनांक 14 / 05 / 2009

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय:- ग्रीष्मावकाश के दौरान हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्ड्री की परीक्षा में पूरक में आये विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन।

विषयान्तर्गत आपके द्वारा हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्ड्री के परीक्षा परिणाम की समीक्षा एवं विश्लेषण किया जा चुका होगा। दोनों कक्षाओं के पूरक में आये विद्यार्थियों की संख्या भी निकाल ली गयी होगी। पूरक परीक्षा में आये विद्यार्थियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी विद्यालयों में पूरक में आये विषयों की विशेष कक्षाएं संचालित की जायें। इस संबंध में विस्तृत निर्देश इसप्रकार हैं:-

1. हाईस्कूल तथा हायरसेकेण्ड्री दोनों ही कक्षाओं में आये पूरक के विद्यार्थियों की विशेष कक्षाएं आयोजित की जायेंगी।
2. यह कक्षाएं दिनांक 21 मई 2009 से अनिवार्यतः प्रारंभ की जायें।
3. जिस विषय में संस्था के प्राचार्य स्नातकोत्तर हैं उस विषय की कक्षाएं उनके द्वारा पढ़ाई जायें। अन्य विषयों में विद्यालय में पदस्थ नियमित व्याख्याता तथा शिक्षकों आदि से पढ़वाया जाये। इस हेतु इन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। यदि विद्यालय में नियमित व्याख्याता तथा शिक्षक नहीं हों तो अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाये।

यदि संस्था में पूरक में छात्र हैं और उनके अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा तथा इस हेतु कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश से संभाग/जिला अंतर्गत समस्त प्राचार्यों को अवगत कराते हुये पालन सुनिश्चित किया जाये तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 22 मई, 2009 को ई-मेल dpiividhya@yahoo.com पर अनिवार्यतः अवगत कराया जाये।

(बी. आर. नायक)
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन / क्रमांक / विद्या / ई / 36 / 2009 / 356
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 14 / 05 / 2009

1. निज सहायक मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म. प्र. शासन
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
9. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल
10. आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल
11. आयुक्त जनसंपर्क मध्यप्रदेश
12. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल म. प्र.
13. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश



आयुक्त लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश